प्रेषक,

गुलाम मुस्तफा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)
लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
लखीमपुर खीरी।

विषय :– प्लाट सं0–491 वर्ग मीटर स्थित मोहम्मदपुर बस्तोर तहसील बिलारी मुरादाबाद को विक्रय कर कृषि भूमि खसरा नं0–45 क्षे0 0.1581 हे0 स्थित ग्राम नानपुर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद को क्रय करने की अनुमति के संबंध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि विषयांकित प्लाट–एरिया 491 वर्ग मीटर स्थित मोहम्मदपुर बस्तोर तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद को प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती नाहीद अंजुम के नाम से माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर सन् 2010 में क्रय किया था। क्षेत्र में विकास न होने के कारण प्रार्थी उपर्युक्त प्लाट को विक्रय कर दूसरी कृषि भूमि अपनी पत्नी के नाम से क्रय करना चाहता है।

प्लाट उपरोक्त जो कि 491 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है, ग्राम मोहम्मदपुर बस्तोर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद में स्थित है, को प्रार्थी श्री मोहम्मदरजा पुत्र श्री जमील अहमद निवासी ग्राम धीमरी रोड करुला ख्वाज़ा नगर, जिला मुरादाबाद व फिरोज पुत्र भूरे, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बस्तोर, पोस्ट नूरपुर, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के हाथ मु0 38,97,000/–रु0 (अड़तीस लाख सत्तानवे हजार रुपये मात्र) में विक्रय करना चाहता है। क्रेतागण का प्रार्थी से कोई संबंध नहीं है, न ही क्रेतागण का कोई मुकदमा कभी भी प्रार्थी के न्यायालय में विचाराधीन रहा है और न ही कभी प्रार्थी ने क्रेतागण का कोई मुकदमा निर्णीत किया है।

उपरोक्त प्लाट को विक्रय कर प्रार्थी अपनी पत्नी श्रीमती नाहीद अंजुम के नाम से कृषि भूमि खसरा नं0 45 एरिया 0.1581 हेक्टेयर, स्थित ग्राम नानपुर तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद को क्रय करने हेतु मो0 शानेरब पुत्र मो0 हुसैन, मकान सं0 126, कब्रिस्तान हिसामपुर, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद एवं श्री सहरोज आलम पुत्र ताहिर हुसैन निवासी ग्राम ताहरपुर अव्वल, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद (co-owners) से एक इकरारनामा मुआयदाबय प्रतिफल धनराशि अंकन मु0 11,50,000/–रु0 (ग्यारह लाख पचास हजार रुपये मात्र), निबंधन/स्टाम्प शुल्क आदि व्यय के अतिरिक्त, में किया है। माननीय न्यायालय के C.L.No. 25/Admin

Scanned with CamScanner

(A) dated July, 14, 1998 के प्रकाश में उक्त मकान के क्रय किये जाने की अनुमति हेतु बिन्दुवार वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

बिन्दु संख्या — 1. 10.08.2006

2. सकल वेतन अंकन मु0 2,69,145/—रु0

प्राप्त वेतन अंकन मु0— 1,83,745/—रु0

3. कार मारुति स्टीम नं0—UP34K2786

4. माननीय उच्च न्यायालय से कोई अग्रिम नहीं लिया।

5. एक्सिस बैंक शाखा नोएडा से मु0 40,00,000/—रु0 (चालीस लाख रुपये मात्र) का ऋण गृह क्रय हेतु वर्ष 2016 में लिया है। जिसका भुगतान 180 मासिक किश्तों में, प्रति किस्त मु0 41,846/—रु0 प्रति माह किया जा रहा है।

6. लागू नही।

7. कृषि भूमि एरिया 0.1581 हेक्टेयर, खसरा नं0 45 स्थित नानपुर, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद।

8. (1) मो0 शानेरव पुत्र मो0 हुसैन, मकान सं0 126, कब्रिस्तान, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद।

(2) श्री सहरोज आलम पुत्र ताहिर हुसैन निवासी ग्राम ताहरपुर अव्वल, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद।

9. विक्रेतागण प्राइवेट व्यक्ति है जो अपनी कृषि भूमि को विक्रीत कर रहे हैं।

10. प्रार्थी विक्रेता से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है तथा प्रार्थी ने विक्रेतागण से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद न तो निर्णीत किया है, न ही प्रार्थी के न्यायालय में विचाराधीन है और न कभी विचाराधीन रहा है।

11. प्रार्थी 491 वर्ग मीटर प्लाट जिसका बैनामा प्रार्थी की पत्नी के नाम से निष्पादित है, को विक्रीत करने के पश्चात प्राप्त धनराशि मु0 38,97,000/—रु0 में से मु0 11,50,000/—रु0 व स्टाम्प शुल्क आदि अदा करेगा।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उपरोक्त प्लाट को विक्रीत कर प्रार्थी की पत्नी श्रीमती नाहीद अंजुम के नाम से अन्य कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नकः— (1) प्रश्नगत प्लाट जो कि विक्रीत किया जाना है, पत्नी के नाम निष्पादित बैनामा की छायाप्रति

(2) पत्नी तथा विक्रेतागण के मध्य लिखे इकरारनामा की छायाप्रति

सादर। भवदीय,

दिनांक 27.05.2024

(गुलाम मुस्तफा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)
लखीमपुर खीरी।

Scanned with CamScanner